भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1216

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में सुधार

1216. श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) देश में महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण तथा सुरक्षा एवं संरक्षण में सुधार हेतु सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्थिक और राजनीतिक विभाजन से ग्रामीण महिलाओं को अधिक नुकसान हुआ है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में महिलाओं की राजनीतिक और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को पाटने के लिए समय-उपयोग सर्वेक्षण रिपोर्ट पर काम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास महिलाओं पर वर्तमान घरेलू बोझ को कम करने की कोई योजना है ताकि उन्हें देश में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ङ): लैंगिक न्याय भारत के संविधान में निहित सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। लैंगिक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें आपराधिक कानूनों और 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006'; 'महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986'; 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013', 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956', 'सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987', 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम', 2012', 'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, आदि विशेष कानूनों का अधिनियमन शामिल है।

इसके अलावा, सरकार देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के

लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र गति और संधारणीय राष्ट्रीय विकास में समान रूप से भागीदार बन सकें।

पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण हेतु कई पहलें की गई हैं।

समग्र शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाएं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन आदि जैसी पहलें यह सुनिश्चित करती हैं कि स्कूल विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं के अनुकूल हों और उनमें उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय देश भर में छात्रों को ई-लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) स्कीम, स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एनईएटी (नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी) आदि का संचालन कर रहा है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, सरकार द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) की शुरुआत की गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र बैंकों की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आसानी से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पोर्टल पर स्थान दिया गया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में कई पहलें की गई हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न स्ट्रीम्स में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए वर्ष 2020 में विज्ञानज्योति की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2017-18 में शुरू हुई ओवरसीज फेलोशिप स्कीम भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) स्कीम में घरों के महिला स्वामित्व पर जोर दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि विधुर/अविवाहित/विवाहित व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामलों को छोड़कर, घर का आवंटन महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि काफी महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, इत्यादि से संबंधित कार्यकलाप चलाने वाली सहकारी समितियों में शामिल हैं।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 11.60 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे 10.14 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन

मिशन' के तहत 19.26 करोड़ में से 14.21 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पीने के पानी के कनेक्शन से जोड़े जाने से कठिन परिश्रम और देखभाल के बोझ को कम करके महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

इसके अलावा, "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र" स्थापित किए गए हैं ताकि स्वास्थ्य देखभाल में होने वाले जेब खर्च को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल बजट को कम करना है। देश भर में ऐसे 10,000 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। श्रम संहिताओं में महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में स्कीम (मनरेगा) के तहत सृजित कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने का अधिदेश दिया गया है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समावेशी कौशल विकास पर जोर दिया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण; महिलाओं के अनुकूल लचीले प्रशिक्षण प्रदायगी तंत्र जैसे मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों, महिलाओं के अनुकूल स्थानीय जरूरत आधारित प्रशिक्षण के साथ दोपहर के बैच; और सुरक्षित और लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षण माहौल, महिला प्रशिक्षकों के रोजगार, पारिश्रमिक में समानता और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

भारत सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा) शुरू किया है। इस स्कीम का उद्देश्य, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों, महिलाओं और विकलांगों जैसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को लक्षित करते हुए डिजिटल विभाजन को पाटना है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 9.98 करोड़ महिलाएं लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने के साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण सहित सरकारी सहयोग का भी लाभ उठा रही हैं।

भारत सशस्त्र बलों में लड़कियों के लिए अहम भूमिकाओं को बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलटों, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बलों, सैनिक स्कूलों में प्रवेश, एनडीए में लड़कियों के प्रवेश आदि जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सहायक प्रावधान किए हैं। सरकार ने विशेषकर कम आय वाले परिवारों की युवा स्कूली छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए महिला विमानन पेशेवरों के सृजन के साथ नागरिक विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। आज देश में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5% पायलट महिलाएं हैं। भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है।

महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के 81% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक के तहत, पीएम जन-धन योजना ने 28 करोड़ से अधिक महिलाओं को, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने स्वयं के बैंक खाते खोलने का लाभ प्रदान किया है। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने 'सुकन्या समृद्धि खाता' नामक बचत स्कीम शुरू की।

उद्यमशीलता की ओर विशेष ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों को बड़ी संख्या में ऋण को सुगम बनाने और संवितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाएं स्टार्ट-अप इंडिया के तहत समर्थित देश के उभरते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण ताकत बनें।

महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए, सरकार ने संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में कम से कम 33% सीटें आरक्षित की हैं। आज, पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से ईडब्ल्यूआर को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

लोक सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना जारी किया जाना महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य महिला संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पहलों को मजबूत करना है। इसका आशय जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके और उन्हें अभिसरण और नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-

निर्माण में समान रूप से भागीदार बनाकर "महिला-प्रेरित विकास" के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतिया प्रस्तावित करने पर विशेष ध्यान देना है। इसका लक्ष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग, अंतिम लाभार्थी ट्रैकिंग और जन सहभागिता को सशक्त बनाने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों की अधिक भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। मिशन शक्ति की दो उप-स्कीमें हैं - 'संबल' और 'सामर्थ्य'।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" उप-स्कीम में, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत का एक नया घटक शामिल है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" उप-स्कीम में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वधार गृह (नया नाम शक्ति सदन) और कामकाजी महिला छात्रावास (नया नाम सखी निवास), राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (नया नाम पालना) के घटक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरक वित्तपोषण का एक नया घटक यानी महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है। एचईडब्ल्यू के तहत सहयोग में देश भर में महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज तक पहुंच सहित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध स्थापन में मार्गदर्शन, लिंक और सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक स्कीम है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) लागू की है, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करके उचित व्यवहार, देखभाल और संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के माध्यम से लगभग 3.29 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही, बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक उप-स्कीम पालना लागू की गई है। अधिक माताओं को काम करने और देखभाल करने वालों को कार्यबल में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सभी स्टैंडअलोन क्रेच को आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) में परिवर्तित करके आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बच्चों की देखभाल सेवाओं का विस्तार किया गया है।

वर्ष 2017 में, पहले दो बच्चों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसमें महिला श्रमिकों को सवेतन मातृत्व अवकाश और निर्धारित दूरी के भीतर पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 5(5) में किसी महिला को सौंपे गए काम की प्रकृति के

आधार पर, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद महिला के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर घर से काम करने का भी प्रावधान है, जिन पर नियोक्ता और महिला परस्पर सहमत हों।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) (जनवरी-दिसंबर 2019) के अनुसार, भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों भागों में, लगभग 80% महिलाएं घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में प्रति दिन लगभग 5 घंटे समर्पित सेवाएं प्रदान करती हैं जबकि लगभग 20% पुरुष प्रतिदिन लगभग 1 घंटा 30 मिनट।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय सहभागिता और भागीदारी के माध्यम से सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रथाओं को बदलना है। यह महिलाओं के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्देश प्रदान करता है जो ऐसी प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को संस्थागत बनाकर व्यापक-आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करने में शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों (घरेलू श्रमिकों सहित) में उत्पादकों और श्रमिकों के रूप में चिन्हित करना है और तदनुसार उनके रोजगार और उनकी कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित उचित नीतियां तैयार करना है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (सामान्य स्थिति, आयु 15 वर्ष और अधिक) 2017-18 में 23.3% से लगातार बढ़कर 2022-23 में 37.0% हो गई है जैसा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

सर्वेक्षण अवधि	महिला श्रम बल भागीदारी दर (%) (सामान्य स्थिति, आयु 15 वर्ष और अधिक)
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8
2022-23	37.0

महिला श्रम बल भागीदारी दर में 13.7% की यह महत्वपूर्ण वृद्धि, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और देश में उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक एजेंडे का परिणाम है।

*****